

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
नैनीताल

दूरभाष सं० 05942-235573, फ़ैक्स नं० 05942-233549 ई०मेल- eepdpwdnt@gmail.com

पत्रांक :-

1686 / 29 सफ़ा

दिनांक :- 21-10-2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग
हल्द्वानी

विषय:- मा० मुख्यमंत्री की घोषणा संख्या 317/2013 के जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड हल्द्वानी के ग्राम -विजयपुर -पहाडपानी पैदल मार्ग के किमी० 0.00 (देवलामल्ला) से किमी० 2.00 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करतें हुए कच्चे मार्ग का सुधारीकरण /पुनः निर्माण एवं सूखी नदी पर काजवें के निर्माण के सम्बन्ध में (FP/UK/ROAD/20099/2016)

सदर्भ:- आपका पत्रांक 1252/12 -1 हल्द्वानी दिनांक 15 अक्टूबर 2016

उपरोक्त सदर्भित पत्र के कम में आपके द्वारा लगाई गयी आपत्तियों का निम्नवत निराकरण कर पुनः आनलाइन अपलोड कर दिया गया है।

बिन्दु संख्या:- 1 मार्ग के निर्माण में वन भूमि प्रस्ताव में मक डिसपोजल स्कीम पूर्व से ही संलग्न की गई है जिसके अनुसार मार्ग निर्माण से लगभग 15288 घन मी० मलुवा उत्सर्जित होना है। तथा मार्ग के काजवें के निर्माण में लगभग 17593.75 घन मी० प्रयुक्त किया जाना है। अतः उत्सर्जित मलुवें के निस्तारण हेतु मक डिसपोजल यार्ड की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु संख्या :-2 रिक्त (कोई आपत्ति नहीं लगाई गई है)

बिन्दु संख्या :-3 आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि सूचना पूर्व में ही अपलोड की गयी है।

बिन्दु संख्या :-4 मार्ग निर्माण हेतु अपलोड किये गये मानचित्र में निर्देशांक चिन्हित कर दिये गये है तथा निर्देशाको की सूची अलग सीट पर संलग्न कर दी गयी है को पुनः आनलाइन अपलोड कर दिया गया है

बिन्दु संख्या :-5 प्रस्तावित मार्ग निर्माण के विरुद्ध होने वाले मानचित्रों को संशोधित कर दिया गया है। मानचित्र के प्रत्येक टर्निंग पाइंट को मानचित्र में दर्शा दिया गया है तथा प्रत्येक टर्निंग पाइंट के निर्देशांक अलग सीट पर अंकित कर संलग्न कर दिये गये है, सूचना को पुनः आनलाइन अपलोड कर दी गयी है।

लक्ष्मणः पंज-2

- बिन्दु संख्या :-6 एफ0 आर0 ए0 सम्बन्धी समस्त प्रमाण पत्र जिला स्तरीय अधिकारी से प्रमाणित तिथि सहित पुनः आनलाइन अपलोड कर दिये गये है ।
- बिन्दु संख्या:- 7 मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में पार्ट 1 में भूमि परियोजना पर औचित्य के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ग्राम मल्ला देवला से ग्राम विजयपुर तक पूर्व निर्मित ग्रामीण मार्ग पर ही सुधार कर मोटर मार्ग प्रस्तावित किया गया है। जोकि वनभूमि में है। अतः न्यूनतम वन भूमि 1.53 है0 मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित कि गई है जो कि अपरिहार्य है। को पुनः आनलाइन अपलोड कर दिया गया है
- बिन्दु संख्या :-8 प्रस्ताव के क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्रमाण पत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का स्थल दर्ज करते हुये पुनः आनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
- बिन्दु संख्या:- 9 प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित क्षेत्र का नाम प्रमाणपत्र में उल्लेख कर पुनः आनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
- बिन्दु संख्या :-10 रिक्त (कोई आपत्ति नहीं लगाई गई है)
- बिन्दु संख्या :-11 प्रस्ताव के पार्ट I, II, III, IV तथा V के प्रपत्रों की प्रमाणित प्रति पुनः आनलाइन अपलोड कर दी गई है

भवदीय

28/11/16
अधिकासी अभियन्ता
प्रा० सं० लो० नि० वि०
नैनीताल